राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 243/2013/बांसवाडा

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन–प्रथम,बांसवाडा — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ज्ञायक एण्टरप्राइजेज लिमिटैड
गांव–ठीकरीया(बांसवाडा) — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांकः 24.04.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 34/वैट/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा(राजस्थान) (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित कर रू. 22,815/– व शास्ति रू. कुल रू. 1,59,705/–की मांग सृजित की है, को अपास्त किया है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 06.09.2011 को वाहन संख्या आरजे. 27आईजी–1848 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 खजूरी पर उक्त की चेकिंग की गई । वाहन में लदे माल LDPE FILM के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 2887130 जो विभाग द्वारा दिनांक 27.08.2008 को जारी किया हुआ है, प्रस्तुत किया गया है, जो अवधिपार /कालातीत है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच करने पर पाया गया कि प्रपत्र वैट–47 समयावधि पार का है, अतः समयावधि पार के वैट–47 का प्रयोग करना अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) सपठित नियम 53(7)(सी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में जवाब प्रस्तुत किया,जिसमें बताया गया कि घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 2887130 जो मात्र दो वर्ष की अवधि के लिए जारी होना एवं समयावधि निकल जाने की भूल स्वीकार की तथा जवाब के साथ नया घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 9349201 प्रस्तुत किया। । अतः कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र वैट–47 को बाद की सोच मानते हुए हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 07.09.2011 पारित कर माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 1,36,890/– व उस पर 5 प्रतिशत की दर से वैट रू 22185/–

आरोपित करते हुए कुल रू. 1,59,705/– की मांग सृजित कर दी। उक्त सृजित मांग से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की,जिसको उन्होंने स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2012 के असन्तुष्ट होकर यह अपील विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया रखा है, जो अविधिक है।उनका कथन है कि नोटिस के जवाब में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा कालातीत वैट–47 काम में लिया गया है और जवाब के साथ दूसरा घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 9349201 प्रस्तुत किया गया है ।जबकि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 होना आज्ञापक है, उसके अभाव में अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 54 एवं 53(7)(सी) का उल्लंघन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है। ,जो विधिक है। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा0क0अ0,18 टैक्स अपडेट 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है । उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2012 को यथावत अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद नोटिस की तामील के सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुआ है,इसलिए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है ।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 प्रस्तुत किया गया, जो जांच के पश्चात कालातीत पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कथन किया गया है कि अवधि पर प्रपत्र वैट 47 प्रस्तुत करना मात्र तकनीकी त्रुटि है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नोटिस के जवाब के साथ दूसरा घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 9349201 प्रस्तुत किया गया है। । राजस्थान कर बोर्ड द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर

अधिकारी,घट प्रथम,करापवंचन,आबूरोड बनाम मैसर्स ओम स्टील, अजमेर (2013)37 टैक्स अप डेट पेज–1 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि वक्त चेंकिंग प्रस्तुत अवधि पार वैट–47 को मात्र तकनीकी अनियमितता की श्रेणी में मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है । इसके अलावा माननीय कर बोर्ड द्वारा भी **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज़, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26** में अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है । उक्त न्यायिक निर्णय के विरूद्ध सिविल अपील (एस.एल.पी.) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो क्रमांक 12311 / 2000 पर दर्ज होकर, दिनांक **28.06.2000** को खारिज कर दी गयी है। चूंकि विवादित बिन्दु पर विधिक स्थिति ने अंतिमतता ग्रहण कर ली है अतः इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के तर्क विधिसम्मत एवम् उचित है। लिहाजा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

प्रकरण के उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश विधिक है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनाक 26.07.2012 की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः अपीलार्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य